तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / ए.आर./ 9133 / 2024 / जिला जयपुर(ग्रामीण) श्योलाराम बनाम जगदीश वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
20-01-2026	**<u>एकल–पीठ</u>** **श्री राजेन्द्र सिंह कविया, सदस्य** <u>उपस्थित :</u> श्री भींयाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी। श्री मृणाल शर्मा, श्री दिनेश चौधरी अधिवक्तागण अप्रार्थीगण। **<u>आदेश</u>** 1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सहपठित धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मेजिस्ट्रेट, चौमू द्वारा प्रकरण सं0 03/2020 उनवान मालीराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–11–2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वर्तमान अप्रार्थी सं0 1 से 6 द्वारा न्यायलय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, चौमू जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध प्रार्थीगण एवं अन्य शेष अप्रार्थीगण पेश किया। प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते अप्रार्थी सं0 2 मालीराम द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 05–8–24 को पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 4 बाबूलाल पुत्र श्री ग्यारसी का स्वर्गवास दिनांक 02–02–2023 को हो गया है, अतः उसके जीवित विधिक वारिसानें को रिकार्ड पर लिया जावे। प्रार्थना पत्र के साथ उन्होंने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया। प्रार्थी श्योलाराम ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी सं0 4 बाबूलाल की मृत्यु की जानकारी प्रारम्भ से ही अप्रार्थीगण को थी। उन्होंने देरी से प्रार्थना पत्र पेश करने के संतोषप्रद कारण भी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में नहीं दिये है। अतः प्रार्थना पत्र वास्ते कायम मुकाम संयोजित करने को खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांक 21–11–24 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है।	`

	3– बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्होंन आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रार्थनापत्र का जवाब पेश कर स्पष्ट कथन किया था कि अप्रार्थी सं0 बाबूलाल की मृत्यु दिनांक 02–02–2023 को चुकी है तथा उसके कायम मुकाम की कार्यवाही करने का प्रार्थनापत्र दिनांक 05–8–2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जिसमें न तो धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया एवं ना ही अबेटमेंट की रिलीफ हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी के द्वारा विपक्षी को सूचना देने के बावजूद भी समय पर कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई है। इन सभी तथ्यों को नज़रंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नॉन–स्पीकिंग एवं नॉन–रीजण्ड आदेश पारित किया है, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नॉन–स्पीकिंग एवं नॉन–रीजण्ड आदेश एक आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अतः धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में निहित अन्तर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किये गये एकपक्षीय आलोच्य आदेश को निरस्त किया जावे तथा निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज किया जावे अथवा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि अनुसार स्पीकिंग एवं रीजण्ड आदेश पारित करें। 4– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी सं0 4 बाबूलाल पुत्र ग्यारसीलाल का निधन दिनांक 02–02–2023 को हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं0 4 बाबूलाल के निधन की जानकारी दिनांक 31–7–2024 को हुई। जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद में प्रस्तुत नहीं करने के पीछे प्रार्थीगण की कोई दुर्भावना पूर्ण मंशा नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत रूप से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार कर बाबूलाल के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आदेश दिया है। आलोच्य आदेश में ऐसी कोई विधिक, क्षेत्राधिकार एवं तथ्य संबंधी त्रुटि नहीं है, जिसमें निगरानी के जरिये हस्तक्षेप किया जावे।	

	निगरानी का दायरा अत्यंत सीमित है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कोई तथ्य एवं क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि किये जाने से ही अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है। 5– विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपान्त परिशीलन किया 6– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, चौमू जिला जयपुर के समक्ष पक्षकारान के मध्य धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् प्रार्थनापत्र विचाराधीन है। प्रार्थनापत्र के विचाराधीन रहते अप्रार्थी सं0 4 बाबूलाल पुत्र ग्यारसीलाल का स्वर्गवास दिनांक 02–02–2023 को हो गया था जिसकी जानकारी श्योलाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31–7–2024 को देने से मालीराम को हुई। मालीराम ने निवेदन किया कि बाबूलाल की मृत्यु दिनांक 02–02–23 से दिनांक 31–7–2024 की अवधि को कण्डोन किया जाकर प्रार्थनापत्र धारा 5 स्वीकार कर बाबूलाल के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे। 7– अधीनस्थ न्यायालय ने हालांकि आलोच्य आदेश पारित करते समय देरी को कण्डोन करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में ऐसी कोई विधिक, क्षेत्राधिकार एवं तथ्य संबंधी त्रुटि नहीं की है। पक्षकारान के मध्य धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र विचाराधीन है जिसमें सभी पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देकर ही निर्णय किया जाना होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विवेकाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया है। आलोच्य आदेश पारित करने से यह स्पष्ट जाहिर है कि भले ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कारणों का उल्लेख नहीं करते हुए स्पीकिंग आदेश जारी नहीं किया गया है लेकिन उनके द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में आगे की कार्यवाही निरंतर जारी रखा गया है। अप्रार्थीगण का यह भी कहना है कि वे ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है तथा कानून की पेचीदगियां नहीं समझते हैं। प्रार्थीगण द्वारा भी मृत्यु की सूचना विचारण न्यायालय के समक्ष विलम्ब से जाहिर की है। निगरानी का दायरा अत्यंत सीमित है अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करने में ऐसी	

	कोई विधिक, क्षेत्राधिकार एवं तथ्य संबंधी त्रुटि नहीं की है जिसमें निगरानी के जरिये हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है। 8– परिणामतः हस्तगत् निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख इस आदेश की प्रति के साथ लौटाया जाये। इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में जमा कराई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(राजेन्द्र सिंह कविया)** **सदस्य**	